कोर्ट प्रति आदेश दिनांक 11-7-22

मण्डल:- कानपुर,जनपद:- फर्रूखाबाद,तहसील:- फरुखाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 8262/2022

श्री छविनाथ सिंह विद्यालय समिति मोहम्मदाबाद फरू० द्वारा प्र० अनिल कुमार यादव बनाम उ०प्र० सरः

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202203240108262

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 11/07/2022

अंतिम आदेश

ग्राम-मोहम्मदाबाद परगना-मोहम्मदाबाद तहसील-सदर

निर्णय

श्री छविनाथ सिंड विद्यालय समिति मोहम्मदाबाद फर्रूखाबाद द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार यादव पुत्र छविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता के अन्र्तगत नियत प्रारूप आर0सी0 25 पर इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मोहम्मदाबाद परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद स्थित भूमि गाटा संख्या 334/7332/1.3650 हे0 में से 0.3240 हे0 भूमि के संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हैं। उक्त भूमि पर कृषियेत्तर कार्य न होने के कारण उसे अकृषक प्रख्यापित किया जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 07.07.2022 में अंकित किया है कि ग्राम मोहम्मदाबाद परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर की भूमि गाटा संख्या 334/7332/1.3650 हे0 में से 0.3240 हे0 पर आवेदक श्री छविनाथ सिंह विद्यालय समिति मोहम्मदाबाद फर्रूखाबाद द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार यादव पुत्र छविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर वृक्षारोपण, कुकुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार सदर की आख्या अनुसार उक्त गाटा का मूल्यांकन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की भूमि निर्धारण मूल्यांकन की स्वीकृत सूची के आधार पर 4374000-00/-(तेतालीस लाख चैहत्तर हजार रूपया) होती है जिसका 01 प्रतिशत 43,740-00/-(तेतालीस हजार सात सौ चालीस रूपया) होती है। अन्ततः उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद की जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखों का सम्यंक रूप से परिशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम मोहम्मदाबाद परगना पहाडा तहसील सदर के भूमि के गाटा संख्या 334/7332/1.3650 हे0 में से 0.3240 हे0 पर आवेदक श्री छविनाथ सिंह विद्यालय समिति मोहम्मदाबाद फर्रूखाबाद द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार यादव पुत्र छविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर सहखातेदार अंकित है। वादग्रस्त भूखण्ड के अन्य सहखातेदार की ओर से अनापत्ति दर्शाते हुये शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक की भूमि विशिष्ट रूप से चिन्हित है और उस चिन्हित भूमि के अकृषक प्रख्यापन से अन्य सहखातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि पर कुकुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा धारा-80 के प्रावधानों के अनुसार 01 प्रतिशत 43,740-00/-(तेतालीस हजार सात सौ चालीस रूपया) का उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान दिनांक 08.07.2022 को जमा किया गया एवं कोर्ट फीस जमा की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से आवेदक द्वारा धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता के अन्र्तगत प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणाम स्वरूप आवेदन पत्र स्वीकार कर निम्नरूप से आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम मोहम्मदाबाद परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद स्थित भूमि खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 00606 की गाटा संख्या 334/7332/1.3650 हे0 में से 0.3240 हे0 जो श्री छविनाथ सिंह विद्यालय समिति मोहम्मदाबाद फर्रूखाबाद द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार यादव पुत्र छविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर सहखातेदार दर्ज है, को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर फर्रूखाबाद को तदनुसार भू-अभिलेखों में इन्द्राज करने व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद-फर्रूखाबाद

आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, उदघोषित क्रिया गया।

11.7.22

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद-फर्रूखाबाद

TRUE COPY

527

नकल प्रार्थी

प्रा० पत्र देने की तिथि 11-7-22

नकल तैयार करने की तिथि 12-7-22

नकल देने की तिथि 12-7-22

CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED